



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 942]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल, 5, 2017/चैत्र 15, 1939

No. 942]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 5, 2017/CHAITRA 15, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अप्रैल, 2017

का.आ. 1057(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269धन के परंतुक के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचित करती है कि धारा 269धन के उपबंध किसी व्यक्ति की धारा 269धन के परंतुक के खंड (i) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी अस्तित्व से किसी प्राप्ति को लागू नहीं होंगे।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2017 से लागू हुई मानी जाएगी।

[अधिसूचना सं. 28/2017/फा. सं. 370142/10/2017-टीपीएल]

डॉ.टी.एस. मपवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th April, 2017

S.O. 1057(E).—In exercise of the powers conferred by clause (iii) of the proviso to section 269ST of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies that the provision of section 269ST shall not apply to receipt by any person from an entity referred to in sub-clause (b) of clause (i) of the proviso to section 269ST.

2. The notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st day of April, 2017.

[Notification No.28/2017/ F.No.370142/10/2017-TPL]

DR. T.S. MAPWAL, Under Secy.